रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 65] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 71(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और, कर्नाटक के जगालुर तालुक जिला दावानागेरे में स्थित कर्नाटक सरकार के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग की अधिसूचना सं. एफईई 240 एफ डब्ल्यू एल 2010 ,बैंगलोर तारीख 10 जनवरी 2011 द्वारा अधिसूचित अभयारण्य उपखंड अर्थात् खंड-'क' खंड-'ख' और खंड-'ग' से मिलकर बने रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्य जीव अभ्यारण्य 14^0 41' 0.15" उत्तरी अक्षांश 76^0 08' 13.2" पूर्वी अक्षांश तथा 14^0 33' 45.8" उत्तरी अक्षांश 76^0 17' 06.4" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है और 77.2373 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है ।

और, इन वनों में संकटग्रस्त चौसींगा मृग जो भारत की अद्भुत मृग प्रजातियां हैं [टिट्रासेरीस्क्वाड्रीकार्निस] की कुछ जीवित जंगली वन्य जनसंख्या में से एक है। ये प्राणी वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची के अधीन संरक्षित है और विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्द्धमान संकटों का सामना कर रहे हैं। इन वनों में रीछ, साल, जंगली बिल्ली, साही हयेना जैसी अन्य संकटाग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों और अन्य को भी आश्रय प्रदान करते हैं। राज्य के शुष्कतर मैदानों में उत्तरजीवी आरक्षित वनों के एकल विशालतम खंडों में से एक खंड है। ये वन गुरूसिद्धापुरा मगादी कुंड, मोले मशिकेरे कुंड और अन्य सहित वनों के इर्द गिर्द विभिन्न कुंडों तथा झीलों के लिए एक महत्वपूर्ण आवाह के रूप में कार्य करते हैं।

और इस क्षेत्र के वनों में शुष्क मिश्रित पतझड़ी से लेकर कांटेदार झाड़ियों के विभिन्न किस्मों के वन हैं। यद्यपि उनके बीच अन्तर की रेखा विषम नहीं है उनमें बिल्कुल अभिलक्षण तथा गोचरता है। सर हेनरी जी दोमिपियन और श्री एस के सेठ के पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार इन क्षेत्रों में पतझड़ी (5डी एस 1) तथा दक्षिणी कांटेदार [6ए/डीए 1]वन हैं वनस्पति अल्बीज्जिया मारा, आजाद्रिच्तैनदिका, अनोजोइसिस लेटिफोलिया, एम्बिलकैओफाइ सीनयल, जिजीफुसजुजुबा, हार्डिवाइकिया बीनाटा आदि की प्रजातियों से मिलकर बना है। उपरोक्त वनस्पति के अतिरिक्त अर्थात् गर्सिमियामोरेला सोलानुमिंडिकम एकासिया काटेचु एकान्दस आपेरा कासिया फिस्टूला आदि अभयारण्यों में पाए जाने वाले औषधीय पादपों की प्रजातियों का पोषक है।

और, रंगय्यादुर्ग चौसींगा मृग वन्य जीव अभ्यारण्य चौसींगा मृगों के साथ साथ स्तनपायीयों, सरीसृपों, पक्षियों, तितलियों तथा अन्य कीटों के लिए एक प्राकृतिक वास है जो महत्वपूर्ण प्रजातियों का क्षेत्र है चौसींगा मृगों के अतिरिक्त पाए जाने वाली सामान्य जीव जंतु चीता, रीछ, साही, बनैला, सुअर, हयेना, साल, गीदड़, जंगली बिल्ली, सितारेदार कछुआ, मटरमुर्गा, तीतर और विभिन्न प्रकार के सर्प छिपकलियां तथा पक्षी पाए जाते हैं।

और, रंगय्यादुर्ग चौसींगा मृग वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग अभ्यारण्य की सीमा के आस पास 0.8 कि. मी. से 2.50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग अभ्यारण्य का विस्तार 0.8 कि.मी. से 2.50 कि.मी. तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 136.65 वर्ग किलोमीटर तक है और ऐसे जोन की सीमाओं के ब्यौरे **उपाबंध I** में दिए गए हैं।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन जिसमें 30 ग्राम हैं और इसके साथ प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांकों सहित **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा के ब्यौरे तथा अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और साथ ही अभ्यारण्य में मुख्य अवस्थानों (जीपीएस बिंदु) **उपाबंध IV** पर हैं।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय लोगों से परामर्श करके और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों के और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बातों को समाकलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ; और
(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) (ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना योजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) उक्त योजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय—** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 12, सं0 18, सं0 24, 29 और सं. 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह आदि;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना तथा उनका सदृढीकरण,
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा और स्थानीय सुख सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि के ठीक करने की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुपयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण रंगय्यादुर्ग चौसींगा वन्य जीव अभ्यारण्य से एक कि.मी. के भीतर पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन संबद्ध पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के लिए अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं:

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक कि.मी. की दूरी से आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और सैरगाहों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए अभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की

पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा की जाएगी और सुरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** – ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाईयां** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप:	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों एंव ईटों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होंगी।
(2)	आरा मीलों की स्थापना	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नई ताप और मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थ जिसके अंतर्गत कीटनाशक और कीटनाशी भी हैं का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा: परंतु यह भी कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति अवधि पर नहीं किया जाएगा।

(10)	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशु धन संपदा और कुक्कुट फर्मों की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का उपयोग	लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का निर्माण सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा।
(12)	होटल और रिसोर्ट की स्थापना	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के । तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप	संरक्षित क्षेत्रों की एक कि.मी. की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। परंतु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियम यदि कोई हों और विनियमों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक कि.मी. से आगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(14)	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है।

		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(16)	विद्युत केबलों, प्रेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण	भूमिगत केबलो को प्रोत्साहित देना । (ii) विद्यमान घरेलू लाइनें-यदि भूमि के ऊपर है तो < 20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और >30 डिग्री से कम ढाल के लिए यह भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए । (iii) घरेलू प्रयोजन के लिए वैद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होना है । (iv) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के लिए, दो टावरों के बीच "सैग" बिंदू भूमि से कम से कम पंद्रह मीटर पर होना चाहिए ।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जलाश्यों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहि:स्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान	उपचारित बहि:स्रावों के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(25)	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग	बायो गैस, सौर उर्जा आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि- सदस्य;

(iii) शहरी विकास विभाग कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि-सदस्य;

(iv) प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), का पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(vi) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ–सदस्य;

(vii) विधानसभा सदस्य, जगालूर निर्वाचन क्षेत्र-सदस्य

(viii) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, देवानगेरे-सदस्य

(ix) उप वन संरक्षक, परियोजना बाघ प्रभाग, बांदीपुर- सदस्य सचिव

*(अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन यदि अपेक्षित हो जिसमें कर्नाटक विधान सभा अध्यक्ष से प्राप्त अनुमति भी है, प्राप्त करते हुए कर्नाटक सरकार के अध्यधीन)

6. निर्देश के निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन आने वाले ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध प्रखंड आयुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/161/2015-ईएसजैड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमा विवरण

उत्तर जिला दावानागेरे, तालुक जागलुर, बासावानाकोटे ग्राम के उत्तर पूर्व भू-भाग बिंदु के एस वार्ड सं. 206 से प्रारभ्भ होकर पूर्व में सभी समान्तर उत्तरी सीमा के बासावाकोटे, अरीशनागुंडा और मागदी ग्रामो के मागदी ग्राम के उत्तर पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 41 की ओर जाती है । इसके बाद रेखा जिला बेल्लारी, तालुक कुडलागी ठुलाहाल्ली ग्राम के उत्तर की पश्चिम सीमा के सर्वे सं. 532,531,530,528,527, सं. ठुलाहाल्ली ग्राम से उत्तर – पश्चिम भू-भाग सर्वे सं. 527 की ओर जाती है इसके बाद रेखा – पश्चिम के पास सामान्य सीमा के 527-526, 523-526, 523-524, 523-518, 521-518, 519-518, 519-512, 545-512, 545-510, 550-610, 608-610, 609-610, 611-610, 611-612, 614-613, 614-621, 620-621, 620-622, 620-623, 623-622, 623-646, 644-646, 653-646, 652-648, 652-651, 661-651, 662-650, 662-437, 662-436, 662-434, 433-434, 433-432, 429-432, 429-431, 429-430, 428-430, 423-430, 423-344, 423-345, 423-346, 422-348, 349-348, 350-348, 350-351, 354-351, 354-352, 354-353, 159-353, 159-179, 159-162, 158-162, 158-161, 157-161, 157-162, 157-163, 156-163, 156-164, 156-152, 154-153, 147-153, 147-151, 147-150, 149-150, 87-150, 88-84, 88-85, 88-86 से ठुलाहाली ग्राम के उत्तर पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 88 की ओर जाती है इसके बाद रेखा ठुलाहाल्ली ग्राम के पास दक्षिण के सामान्य पट्टी के उत्तर पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 92 और जागलुर यारालाकट्टे ग्राम के उत्तरी पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 9 की ओर जाती है इसके बाद यारालाकट्टे ग्राम की सामान्य सीमा के पूर्व सं. 09-08, 13-08, 13-14, 17-14, 17-15, 16-15, से एक उसी ग्राम के दक्षिण पूर्व सं. 15 की ओर जाती है इसके बाद रेखा दक्षिण के समान्तर पूर्व सतह के सर्वे सं. 16 से उसी ग्राम के उत्तर पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 92 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम से समान्य सीमा के सर्वे सं. 92-97, 92-96, 95-100, 101-100, 102-100, 102-116, 134-116, से उसी ग्राम उत्तर पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 134 की ओर जाती है इसके बाद रेखा यारालाकट्टे ग्राम और सोक्के ग्राम की दक्षिण पूर्व और उत्तर से मेडाकरीपुरा ग्राम के पूर्व पर सामान्य सीमा के सर्वे सं. 41 की ओर जाती है इसके बाद रेखा मेडाकरीपुरा ग्राम के पूर्व पर सामान्य सीमा के सर्वे सं. 41-42, 41-37,3 8-37 27-37, 27-36, 27-28, 25-28, 25-14, 25-54, 53-54, 53-13, 52-13, 51-13, 49-13, 49-11, 50-11 से मेडाकरीपुरा ग्राम के सामान्य पट्टी के सर्वे सं. 50 और लक्कमपुरा ग्राम के सर्वे सं. 10, 11 की ओर जाती है ।

पूर्व-रेखा मेडाकरीपुरा ग्राम, कातेनाहल्ली ग्राम थालावाराकरीयाप्पा नाहली ग्राम,हिरेबानीहट्टी ग्राम के दक्षिण पर पूर्वी सीमा से उत्तर पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 42 और चक्कबनीहट्टी ग्राम की उत्तर पश्चिम भू-भाग सर्वे सं. 43 की ओर जाती है। इसके बाद रेखा चिक्काबनीहट्टी ग्राम के दक्षिण पर सामान्य सीमा के सर्वे सं. 42-43, 45-43,45-44, 2-44 से चिक्काबनीहट्टी ग्राम दक्षिण पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 2 की ओर जाती है इसके बाद रेखा चिक्काबनीहट्टी ग्राम की पश्चिम सीमा से सीतारासानाहली ग्राम के उत्तर पूर्व भू- भाग के सर्वे सं. 37 की ओर जाती है। इसके बाद रेखा सीतारासानाहली ग्राम के दक्षिण पर सामान्य सीमा के सर्वे सं. 37-36, 38-36, 19-36, 19-20, 18-22, 17-22, से सीतारासानाहली ग्राम के दक्षिण पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 17 की ओर जाती है । इसके बाद रेखा सीतारासानाहली ग्राम केलागोटे ग्राम और वीरावानागाथीहली ग्राम की सामान्य पट्टी से दक्षिण सीमा के सर्वे सं. 17 की ओर जाती है इसके बाद रेखा केलागोट ग्राम की पश्चिम सीमा से केलागोट ग्राम की पूर्व भू- भाग के सर्वे सं. 57 की ओर जाती है।

दक्षिणी इसके बाद रेखा केलागोट ग्राम की दक्षिण सीमा के सर्वे सं. 57 से कानाकुप्पा ग्राम के उत्तर पूर्व भू- भाग के सर्वे सं. 16 की ओर जाती है इसके बाद कानाकुप्पा ग्राम की सामान्य सीमा के सर्वे सं. 16-17, 16-19, 15-21, 24-21, 24-23, 26-23, 26-27, 28-27, 29-33, 29-32, 29-31, 30-31, 5-31, 4-31, 4-37, 3-37, 1-37, 1-39, 1-47, 48-47, 48-46, 49-46, 49-45, 53-45, 53-54, 53-55, 52-55, 106-55, 106-56, 65-126, 65-58, 59-58 से कानाकुप्पा ग्राम के दक्षिण पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 59 की ओर जाती है इसके बाद रेखा कानाकुप्पा ग्राम की दक्षिण सीमा से कानाकुप्पा ग्राम की दक्षिण पश्चिम भू-भाग की ओर जाती है इसके बाद रेखा हुच्चापलाहल्ली, ग्राम की दक्षिण सीमा से हुच्चापलाहल्ली, ग्राम के दक्षिण पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 71 की ओर जाती है इसके बाद रेखा हुच्चापलाहल्ली इलाहल्ली और मुस्तीग्रानाहली ग्रामो के पूर्व पर दक्षिण पूर्व – भाग सर्वे सं. 39 की ओर जाती है इसके बाद रेखा मुस्तीग्रानाहली ग्राम की सामान्य सीमा के सं. 39-115, 40-115, 40-41, 40-43, 53-43, 52-43, 52-51, 62-51, 62-63, 73-63, 71-63, 69-63, 69-67, 68-67, 68-66, 68-65, 75-76, 77-76 से उसी ग्राम के दक्षिण पूर्व भू- भाग के सर्वे सं. 77 की ओर जाती है इसके बाद रेखा मुस्तीग्रानाहली ग्राम के उत्तरी पर पश्चिम सीमा से काल्लेनाहल्ले ग्राम , लीगानाहल्ली ग्राम, मुस्तीग्रानाहल्ली ग्राम और मीनीग्रानाहल्ली ग्राम, के सामान्य पट्टी की ओर जाती है। इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ली ग्राम की पश्चिम पर दक्षिण सीमा से काल्लेनाहल्ली ग्राम के दक्षिण पश्चिम पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 47 की ओर जाती है ।

पश्चिम - इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ले ग्राम के उत्तर पर पश्चिम सीमा के सर्वे सं. 47 से काल्लेनाहल्ली ग्राम के दक्षिण पश्चिम भू- भाग के सर्वे सं. 50 की ओर जाती है इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ली ग्राम की सामान्य सीमा सर्वे सं. 50-53, 52-53, 52-37, 52-38, 40-38, 40-39, 40-29, 41-29, 42-28 से उसी ग्राम के उत्तरी पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 42 की ओर जाती है इसके बाद रेखा काल्लेनाहल्ली ग्राम उत्तरी सीमा के सर्वे सं. 42 काल्लेनाहल्ली ग्राम गोडे ग्राम और पल्लागट्टे ग्राम की सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा गोडे ग्राम और थारेहल्ली ग्राम की पश्चिम सीमा से उरालाकट्टे ग्राम की दक्षिण सीमा पर थारेहल्ली और पल्लागट्टे ग्राम की सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा उरालाकट्टे ग्राम की दक्षिण और पश्चिम सीमा, चेल्लाकट्टे और वारावीहल्ली ग्राम की पश्चिम सीमा से सोददाययानाकोटे ग्राम की दक्षिण पर वारावीहली ग्राम की पश्चिम ग्राम की और उप्पावाडेराहल्ली ग्राम के सामान्य पट्टी की ओर जाती है इसके बाद रेखा सीदृायानाकोटे ग्राम की दक्षिण और पश्चिम पर दक्षिण सीमा से सीदृायानाकोटे ग्राम के दक्षिण पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 79 की ओर जाती है इसके बाद रेखा सीदृायानाकोटे ग्राम की सामान्य सीमा के सर्वे सं. 79-91, 80-90, 81-87, 82-87, 82-86, 83-86, 83-84, 44-43, 47-43, 42-43, 42-41, 38-41, 38-39, 38-18, 28-19, 24-19, 22-19, 22-20, 21-20, 21-6, 21-5, 4-5, 4-3 बासावानाकोटे ग्राम की सर्वे सं. 108 और सीदृायानाकोटे ग्राम की सर्वे सं. 3 बासावानाकोटे ग्राम की सर्वे 107 और सीदृायानाकोटे ग्राम की सर्वे सं. 177, 176, 175, 174 बासानावानाकोटे ग्राम की सर्वे सं. 107-89, 106-89, 90-89, 91-85, 91-84, 79-84, 80-84, 80-82, 81-82, 81-55, 56-55, 56-57, 58-57, 38-57, 38-50, 38-39, 42-39, 42-41, 43-41, 43-44, 43-26, 34-26, 34-27, 34-30, 33-30, 31-30, 31-13, 5-13, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 7-6, 7-8, 255-254, 255-253, 255-252, 258-252, 259-250, 248-249, 248-243, 244-243, 242-243 से उसी ग्राम के उत्तर पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 243 दक्षिण पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 242 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम की पश्चिम सीमा के सर्वे सं. 242, 241 से उसी ग्राम की सामान्य पट्टी के सर्वे सं. 241, 238 और 237 की ओर जातीहै इसके बाद रेखा ग्राम की सामान्य सीमा के सर्वे सं. 238-237, 238-236, 224-236, 224-225, 226-233, 226-232, 226-231, 227-231, 228-231, 228-230, 229-230, 229-233, 214-233 से उसी ग्राम के उत्तरी पूर्व भू-भाग के सर्वे सं. 214 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम की दक्षिण सीमा के सर्वे सं. 233 से उसी ग्राम के उत्तरी पश्चिम भू-भाग के सर्वे सं. 212 की ओर जाती है इसके बाद रेखा उसी ग्राम के उत्तरी सीमा के सर्वे स 212 की ओर जाती है इसके बाद रेखा नाला को पार करके प्रारंभ बिंदु से मिलती है।

उपाबंध II

रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्य जीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम

मानचित्र	ग्राम	पारिस्थितिकी संवेदी जोन विस्तार	क्षेत्र (हेक्टेयर)	देशान्तर	अक्षांश	तालुक	जिला
1	बसावानाकोटे	आंशिक ग्राम	1600.58	76.138135	14.671713	जागलुरू	दावानागेरे
2	अगासानाहल्ली	समग्र ग्राम	368.63	76.150736	14.693138	जागलुरू	दावानागेरे
3	मागदी	समग्र ग्राम	1096.51	76.172423	14.684828	जागलुरू	दावानागेरे
4	गुरूसीदापुरा	समग्र ग्राम	969.22	76.204637	14.653158	जागलुरू	दावानागेरे
5	ठुलाहल्ली	आंशिक ग्राम	1316.41	76.215706	14.677415	कुडली	बेलारी
6	थारालाकट्टे	आंशिक ग्राम	649.61	76.248135	14.647977	जागलुरू	वानागेरे
7	मेदाकेरीपुरा	आंशिक ग्राम	245.60	76.270688	14.651551	जागलुरू	वानागेरे
8	गोवदीकट्टे	समग्र ग्राम	393.31	76.239792	14.616629	जागलुरू	वानागेरे
9	मंलेमाचीकेरे	समग्र ग्राम	334.49	76.257659	14.612972	जागलुरू	वानागेरे
10	कातेनाहल्ली	समग्र ग्राम	309.92	76.273870	14.636168	जागलुरू	वानागेरे
11	तालावाराकरीयाप्पाना हल्ली	समग्र ग्राम	146.58	76.273205	14.621716	जागलुरू	वानागेरे
12	हीरेबान्नीहटी	समग्र ग्राम	222.25	76.278697	14.610332	जागलुरू	वानागेरे
13	चिक्काबन्नी	समग्र ग्राम	287.67	76.279624	14.599204	जागलुरू	वानागेरे
14	शीथारासानोहल्ली	आंशिक ग्राम	236.86	76.283844	14.589025	जागलुरू	वानागेरे
15	केलाकोटि	समग्र ग्राम	540.33	76.291274	14.570228	जागलुरू	वानागेरे
16	कानाकुप्पा	आंशिक ग्राम	598.26	76.271996	14.565146	जागलुरू	वानागेरे
17	हुच्चापालानाहल्ली	समग्र ग्राम	176.82	76.271018	14.542217	जागलुरू	वानागेरे
18	इनाहल्ली	समग्र ग्राम	233.28	76.262646	14.542100	जागलुरू	वानागेरे
19	मुस्तगाराहल्ली	आंशिक ग्राम	484.11	76.247289	14.535680	जागलुरू	वानागेरे
20	लीगान्नहल्ली	समग्र ग्राम	264.44	76.241565	14.551398	जागलुरू	वानागेरे
21	कालेनाहल्ली	आंशिक ग्राम (खंड क्षेत्र समंलित)	297.29	76.220539	14.550037	जागलुरू	वानागेरे
22	गोडे	समग्र ग्राम	457.56	76.230091	14.568566	जागलुरू	वानागेरे
23	तारेहल्ली	समग्र ग्राम	560.42	76.228630	14.588803	जागलुरू	वानागेरे
24	चिक्काउरलाकट्टे	समग्र ग्राम	36.72	76.212511	14.596751	जागलुरू	वानागेरे
25	उरलाकट्टे	समग्र ग्राम	666.14	76.207916	14.605438	जागलुरू	वानागेरे
26	छाल्लाकट्टे	समग्र ग्राम	230.53	76.192732	14.618194	जागलुरू	वानागेरे
27	वारावीनाहलली	समग्र ग्राम	181.50	76.178097	14.626500	जागलुरू	दावानागेरे
28	रंगाईहनाकोटि	समग्र ग्राम	19.77	76.195857	14.634844	जागलुरू	दावानागेरे

29	सीदाईहनाकाटि	आंशिक ग्राम	519.85	76.164608	14.640138	जागलुरू	दावानागेरे
30	जादानाकट्टे	समग्र ग्राम	220.66	76.174089	14.654351	जागलुरू	दावानागेरे
	कुल		13665.29				

उपाबंध III

रंगय्यादुर्गा चौसींगा मृग वन्य जीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

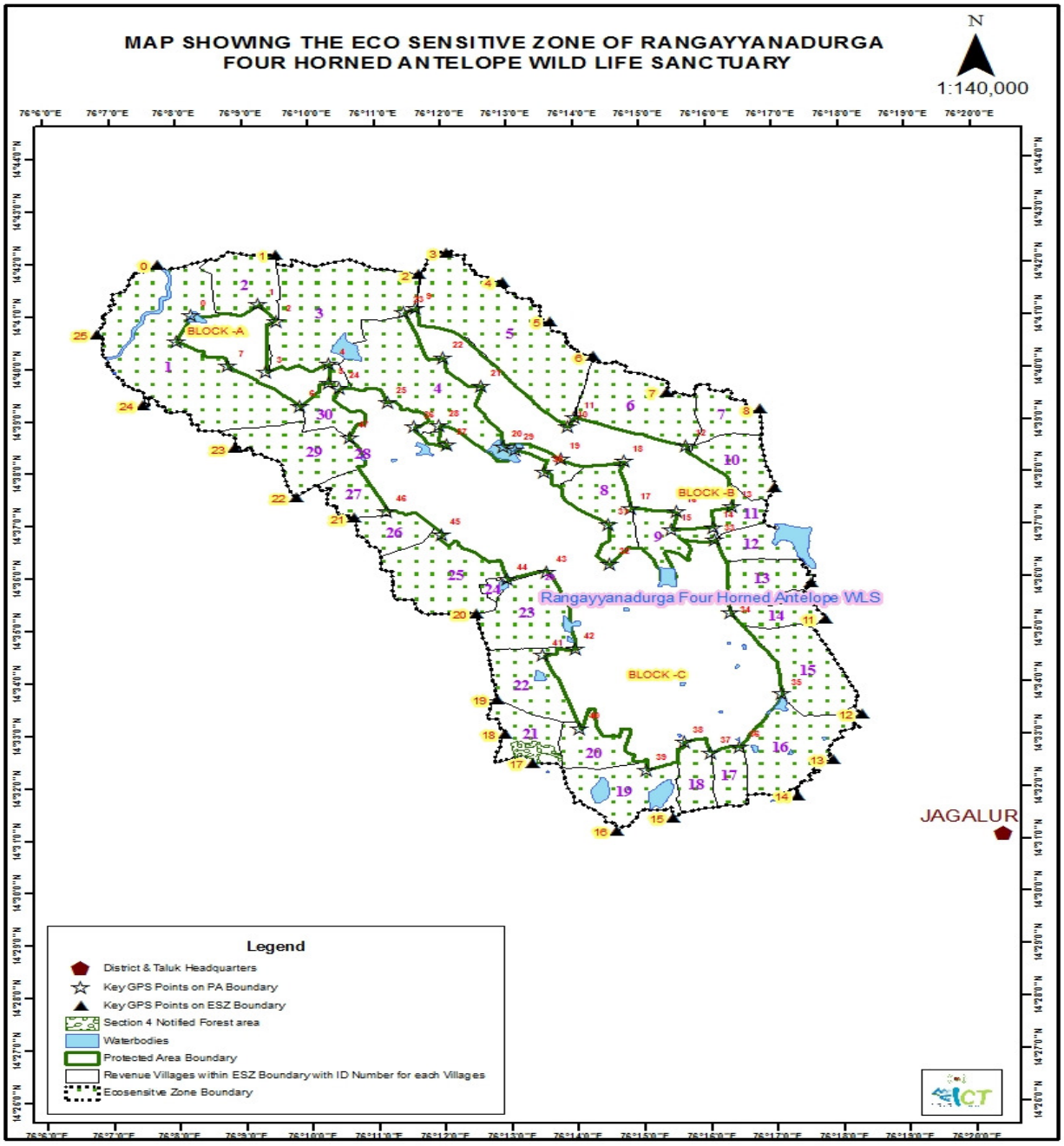

उपाबंध IV

रंगय्यादुर्गा वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रमुख स्थानों की जी पी एस स्थिति

खंड अ

क्र. सं.	देशान्तर	अक्षांश
1.	76.1370042	14.6837430
2.	76.1540601	14.6871999
3.	76.1584125	14.6819389
4.	76.1559887	14.6656910
5.	76.1718136	14.6682133
6.	76.1716325	14.6620716
7.	76.1642452	14.6548098
8.	76.1464231	14.6676896

खंड ब

क्र. सं.	देशान्तर	अक्षांश
9.	76.1332870	14.6755227
10.	76.1937156	14.6856763
11.	76.2317479	14.6480748
12.	76.2333035	14.6508012
13.	76.2614304	14.6417408
14.	76.2729153	14.6222714
15.	76.2681666	14.6156813
16.	76.2577448	14.6150320
17.	76.2590457	14.6207589
18.	76.2475465	14.6218793
19.	76.2457292	14.6369736
20.	76.2298783	14.6377636
21.	76.2154943	14.6417206
22.	76.2100736	14.6610679
23.	76.2004269	14.6700276

खंड ग

क्र. सं.	देशान्तर	अक्षांश
24.	76.1906283	14.6845454
25.	76.1743998	14.6605745

26.	76.1863357	14.6559267
27.	76.1931799	14.6481287
28.	76.2013640	14.6424409
29.	76.1994637	14.6484493
30.	76.2183887	14.6408233
31.	76.2255969	14.6336107
32.	76.2418106	14.6168229
33.	76.2421023	14.6042361
34.	76.2685969	14.6117387
35.	76.2723287	14.5885477
36.	76.2851018	14.5627194
37.	76.2744995	14.5459580
38.	76.2671225	14.5439985
39.	76.2603801	14.5474459
40.	76.2510327	14.5386746
41.	76.2340809	14.5519379
42.	76.2250323	14.5752742
43.	76.2331353	14.5773488
44.	76.2261456	14.6018505
45.	76.2163488	14.5994317
46.	76.1996383	14.6138680
47.	76.1860290	14.6213477
48.	76.1767319	14.6448015

रंगय्यादुर्गा वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों की जी पी एस स्थिति

क्र. सं.	देशान्तर	अक्षांश
1.	76.128679	14.699958
2.	76.158348	14.703129
3.	76.194442	14.696643
4.	76.201297	14.703574
5.	76.215332	14.694102
6.	76.227304	14.681543
7.	76.238033	14.670317
8.	76.256483	14.658717

9.	76.279965	14.653391
10.	76.283568	14.628491
11.	76.292590	14.598141
12.	76.295929	14.586622
13.	76.305176	14.556381
14.	76.297712	14.541937
15.	76.288904	14.530485
16.	76.257419	14.523468
17.	76.243206	14.519341
18.	76.222211	14.541126
19.	76.215336	14.550341
20.	76.213240	14.561410
21.	76.208280	14.588751
22.	76.177782	14.619207
23.	76.163053	14.625916
24.	76.147802	14.641585
25.	76.124701	14.655300
26.	76.113229	14.677915

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 71(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary comprising of 3 blocks, viz, Block-A, Block-B, Block-C notified by the Forest , Ecology and Environment Department , Government of Karnataka vide Notification No. FEE 240 FWL 2010, Bangalore, dated 10th January 2011 situated in Jagalur Taluk , Davanagere District of Karnataka State lies between latitude and longitude N-E and N-E is spread over an area of 77.2373 sq.kms;

AND WHEREAS, these forests have one of the few wild surviving populations of the endangered four-horned antelope [Tetracerosquadricornis], a unique antelope species endemic to India. These animals are protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act,1972 (53 of 1972) and facing increasing threats from various angles. These forests also harbor other endangered wildlife species such as the sloth bear, pangolin, jungle cat, porcupine, hyena and others. It is one of the single largest blocks of reserved forests surviving in the drier plains of the state. These forests also act as important catchment for various tanks and lakes around the forests including Gurusiddapura tank, Magadi tank, Malemachikere tank and others.

AND WHEREAS, the forests of this area vary from dry mixed deciduous to thorny scrub types. Though the line of distinction between them are not abrupt they are quite characteristic and distinguishable. As per the revised classification of Indian Forest types by Sir Harry G. Champion and Sri S.K.Seth the forests of this area belong to dry deciduous scrub [5DS1] and southern thorn forests [6A/DS1].The vegetation comprises of species of*Albizzia amara, Azadirachta indica, Anogoessis latifolia, Emblica officinalis, Zizyphus jujuba, Hardiwicki binata, etc.* In addition to the above flora there is a hoast of species of medicinal plants found in the sanctuaries namely *Garcimiamorella, Solanumindicum, Acacia catechu, Acanthus apera, Cassia fistula, etc.*

AND WHEREAS, Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary is a habitat for variety of Mammals, Reptiles, Birds, Butterflies and other insects along with the Four Horned Antelope which is a flagship species of the area. Common fauna found in addition to Four Horned Antelope are Leopards, Sloth Bears, Porcupines, Wild boar, Hyena, Pangolin, Rabbits, Jackals, Wild cats, Star Tortoise, Pea fowls, Partridges and various types of snakes, lizards, reptiles and birds;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the protected area of Rangayyanadurga Four Horned Antelope Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section# (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varies from 0.8 kms to 2.5 kms around the boundary of Rangayyandurga four Horned Antelope Sanctuary in the State of Karnataka as the Rangayyandurga four Horned Antelope Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is 136.65 Sq.Kms with an extent varies from 0.8 km to 2.25 kms around the boundary of Rangayyandurga four Horned Antelope Sanctuary and the boundary details of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 30 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture
(viii) Karnataka State Pollution Control Board,
(ix) Irrigation,
(x) Public Works Department ,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Rangayyandurga four Horned Antelope Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for

their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units-**(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in

		accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling. (ii) Existing domestic lines – if over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV has to be done underground (iv) For any transmission line more than 11KV the "sag" point between the two towers should be at safe distance from the ground.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka , which shall comprise of the following namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysore – Chairman
(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member;
(iv) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of nature conservation (including heritage conservations) to be nominated by the Government of Karnataka – Member;
(v) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;
(vi) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case – Member;
(vii) Member of the Legislative Assembly, Jagalur Constituency – Member;
(viii) Deputy Commissioner or his representative, Davanagere - Member ;
(ix) The Deputy Conservator of Forests, Project Tiger Division, Bandipur Member Secretary;

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government

in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/161/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF RANGAYYANDURGA FOUR HORNED ANTELOPE SANCTUARY

North: Starting from a point North-West corner of Sy.No. 206 of Basavanakote village, JagalurTaluk, Davanagere District line runs East all along Northern boundary of Basavanakote, Arishinagunda and Magadi villages to North-East corner of Sy.No. 41of Magadi village. Then line runs north on western boundary of Sy.Nos. 532, 531, 530, 528, 527 of Thulahalli Village KudlagiTaluk, Bellary District to North-West corner of Sy.No.527 of Thulahalli Village. Then line runs west on common boundary of SyNos 527-526, 523-526, 523-524, 523-518, 521-518, 519-518, 519-512, 545-512, 545-510, 550-610, 608-610, 609-610, 611-610, 611-612, 614-613, 614-621, 620-621, 620-622, 620-623, 623-622, 623-646, 644-646, 653-646, 652-648, 652-651, 661-651, 662-650, 662-437, 662-436, 662-434, 433-434, 433-432, 429-432, 429-431, 429-430, 428-430, 423-430, 423-344, 423-345, 423-346, 422-348, 349-348, 350-348, 350-351, 354-351, 354-352, 354-353, 159-353, 159-179, 159-162, 158-162, 158-161, 157-161, 157-162, 157-163, 156-163, 156-164, 156-152, 154-153, 147-153, 147-151, 147-150, 149-150, 87-150, 88-84, 88-85, 88-86 to North-East corner of Sy. No.88 of Thulahalli Village then line runs South to common band of North-East corner of Sy. No. 92 of Thulahalli Village and North-West corner of Sy.No.9 of Yaralakatte Village, JagaluruTaluk. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 09-08, 13-08, 13-14, 17-14, 17-15, 16-15 of Yarlakatte village to South-East corner of Sy.No. 15 of same village. Then line runs South all along Eastern side of Sy.No. 16 to North-West corner of Sy.No.92 of same village. Then line runs Northern boundary of Sy.No. 92 of same village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 92-97, 92-96, 95-96, 95-100, 101-100, 102-100, 102-116, 134-116 of same village to North-East corner of Sy.No.134 of same village. Then line runs South, East and North on common boundary of Yarlakatte Village

and Sokke Village to North-West corner of Sy.No.41of Medakaripura Village. Then line rums East on common boundary of Sy.Nos. 41-42, 41-37, 38-37, 27-37, 27-36, 27-28, 25-28, 25-14, 25-54, 53-54, 53-13, 52-13, 51-13, 49-13, 49-11, 50-11 of Medakaripura village to a common bandh of Sy.No. 50 of Medakeripura village and Sy.Nos.10, 11 of Lakkampura village.

East: The line runs South on Eastern Boundary Medakaripura Village, Katenahalli Village, Thalavarakariyappanahalli Village, Hirebannihatti Village to North-East corner of Sy.No.42 and North-West corner of Sy.No.43 of Chikkabannihatti Village. Then line runs South on common boundary of Sy.Nos.42-43, 45-43, 45-44, 2-44 of Chikkabannihatti Village to South-East corner Sy.No.2 of Chikkabannihatti Village. Then line runs Western Boundary of Chikkabannihatti Village to North-East corner of Sy.No.37 of Sitarasanahalli Village. Then line runs South on common boundary of Sy.Nos. 37-36, 38-36, 19-36, 19-20, 18-22, 17-22 of Sitarasanahalli Village to South-East corner of Sy.No.17 of Sitarasanahalli Village. Then line runs Southern boundary of Sy.No.17 to common band of Sitarasanahalli Village, Kelagote Village and Veeravanagathihalli Village. Then line runs Western Boundary of Kelagote Village to South-East corner of Sy.No.57 of Kelagote Village.

South: Then line runs on Southern Boundary of Sy.No.57 of Kelagote Village to North-East corner of Sy.No.16 of Kanakuppa Village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 16-17, 16-19, 15-21, 24-21, 24-23, 26-23, 26-27, 28-27, 29-33, 29-32, 29-31, 30-31, 5-31, 4-31, 4-37, 3-37, 1-37, 1-39, 1-47, 48-47, 48-46, 49-46, 49-45, 53-45, 53-54, 53-55, 52-55, 106-55, 106-56, 65-126, 65-58, 59-58 of Kanakuppa village, to South-East corner of Sy.No.59 of Kanakuppa Village. Then line runs on Southern Boundary of Kanakuppa Village to South-West corner Kanakuppa Village. Then line runs Southern boundary Hucchapalanahalli Village to South-East corner of Sy.No.7 of Hucchapalanahalli Village. Then line runs West on Southern Boundary of Hucchapalanahalli, Inahalli and Mustigranahalli Villages to South-East corner of Sy.No.39 of MustigranahalliVillage. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 39-115, 40-115, 40-41, 40-43, 53-43, 52-43, 52-51, 62-51, 62-63, 73-63, 71-63, 69-63, 69-67, 68-67, 68-66, 68-65, 75-76, 77-76 of Mushtigaranahalli village to South-West corner of Sy.No.77 of same village. Then line runs North on Western Boundary of Mustigranahalli village to common band of kallenahalli Village, Lingannanahalli Village, Mustigranahalli Village and Meenigaranahalli Village. Then line runs West on Southern Boundary of Kallenahalli Village to South-West corner of Sy.No.47 of Kallenahalli Village.

West: Then line runs North on Western Boundary of Sy.No.47 of Kallenahalli Village to South-West corner of Sy. No.50 of Kallenahalli Village. Then line runs on common boundary of Sy.No.50-53, 52-53, 52-37, 52-38, 40-38, 40-39, 40-29, 41-29, 42-28 of Kallenahalli Village to North-West corner of Sy.No.42 of same village. Then line runs Northern boundary of Sy.No.42 of Kallenahalli village to a common band of Kallenahalli village, Gode village and Pallagatte village. Then line runs Western boundary Gode village and Tharehalli village to a common band of Tharehalli village and Pallagatte village on Southern boundary of Uralakatte village. Then line runs Southern and Western boundary of Uralakatte village, Western boundary of Chellakatte and Varavihalli village to common band of Varavihalli village and Ujjappavaderahalli village on Southern boundary of Siddayyanakote village. Then line runs South-West on Southern boundary of Siddayyanakote village to South-West corner of Sy.No.79 of Siddayyanakote village. Then line runs on common boundary of Sy.Nos. 79-91, 80-90, 81-87, 82-87, 82-86, 83-86, 83-84, 44-43, 47-43, 42-43, 42-41, 38-41, 38-39, 38-18, 28-19, 24-19, 22-19, 22-20, 21-20, 21-6, 21-5, 4-5, 4-3 of Siddayyanakote village, Sy.No. 108 of Basavanakote village and Sy.No.3 of Siddayyanakotevillage, Sy.No.107 of Basavanakote village and Sy.No.3 of Siddayyanakote village, Sy.No. 107 of Basavanakote village and Sy.No.177, 176, 175, 174 of Siddayyanakote village, Sy.Nos. 107-89, 106-89, 90-89, 91-85, 91-84, 79-84, 80-84, 80-82, 81-82, 81-55, 56-55, 56-57, 58-57, 38-57, 38-50, 38-39, 42-39, 42-41, 43-41, 43-44, 43-26, 34-26, 34-27, 34-30, 33-30, 31-30, 31-13, 5-13, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 7-6, 7-8, 255-254, 255-253, 255-252, 258-252, 259-250, 248-249, 248-243, 244-243, 242-243 of Basavanakote village to North-West corner of Sy.No. 243 and South-West corner of Sy.No. 242 of same village. Then line runs Western boundary of Sy.No. 242, 241 of same village to common bandh of Sy.No.241, 238 and 237 of same village. Then line runs on common

boundary of Sy.Nos. 238-237, 238-236, 224-236, 224-225, 226-233, 226-232, 226-231, 227-231, 228-231, 228-230, 229-230, 229-233, 214-233 to North-East corner of Sy.No. 214 of same village. Then line runs on Southern boundary of Sy.No. 233 of same village to North-West corner of Sy.No. 212 of same village. Then line runs Northern boundary of Sy.No. 212 of same village. Then line runs cross through nala to meet starting point.

ANNEXURE-II

VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF RANGAYYANDURGA FOUR HORNED ANTELOPE SANCTUARY

Map ID	Village	Eco-sensitive zone width	Area (in Ha)	Longitude	Latitude	Taluk	District
1	Basavanakote	Partial village	1600.58	76.138135	14.671713	Jagaluru	Davanagere
2	Agasanahalli	Entire village	368.63	76.150736	14.693138	Jagaluru	Davanagere
3	Magadi	Entire village	1096.51	76.172423	14.684828	Jagaluru	Davanagere
4	Gurusiddapura	Entire village	969.22	76.204637	14.653158	Jagaluru	Davanagere
5	Thulahalli	Partial village	1316.41	76.215706	14.677415	Kudligi	Bellary
6	Yaralakatte	Partial village	649.61	76.248135	14.647977	Jagaluru	Davanagere
7	Medakeripura	Partial village	245.60	76.270688	14.651551	Jagaluru	Davanagere
8	Gowdikatte	Entire village	393.31	76.239792	14.616629	Jagaluru	Davanagere
9	Malemachikere	Entire village	334.49	76.257659	14.612972	Jagaluru	Davanagere
10	Katenahalli	Entire village	309.92	76.273870	14.636168	Jagaluru	Davanagere
11	TalavaraKariyappanahalli	Entire village	146.58	76.273205	14.621716	Jagaluru	Davanagere
12	Hirebannihatti	Entire village	222.25	76.278697	14.610332	Jagaluru	Davanagere
13	Chikkabannihatti	Entire village	287.67	76.279624	14.599204	Jagaluru	Davanagere
14	Sheetharasanahalli	Partial village	236.86	76.283844	14.589025	Jagaluru	Davanagere
15	Kelakote	Entire village	540.33	76.291274	14.570228	Jagaluru	Davanagere
16	Kanakuppa	Partial village	598.26	76.271996	14.565146	Jagaluru	Davanagere
17	Hucchapalanahalli	Entire village	176.82	76.271018	14.542217	Jagaluru	Davanagere
18	Inahalli	Entire village	233.28	76.262646	14.542100	Jagaluru	Davanagere
19	Mustigarahalli	Partial village	484.11	76.247289	14.535680	Jagaluru	Davanagere
20	Lingannanahalli	Entire village	264.44	76.241565	14.551398	Jagaluru	Davanagere
21	Kallenahalli	Partial village (Including section-4 area)	297.29	76.220539	14.550037	Jagaluru	Davanagere
22	Gode	Entire village	457.56	76.230091	14.568566	Jagaluru	Davanagere
23	Tarehalli	Entire village	560.42	76.228630	14.588803	Jagaluru	Davanagere
24	Chikkaurlakatte	Entire village	36.72	76.212511	14.596751	Jagaluru	Davanagere
25	Urlakatte	Entire village	666.14	76.207916	14.605438	Jagaluru	Davanagere
26	Challakatte	Entire village	230.53	76.192732	14.618194	Jagaluru	Davanagere
27	Varavinahalli	Entire village	181.50	76.178097	14.626500	Jagaluru	Davanagere
28	Rangaiahnadurga	Entire village	19.77	76.195857	14.634844	Jagaluru	Davanagere
29	Siddaiahnakote	Partial village	519.85	76.164608	14.640138	Jagaluru	Davanagere
30	Jadanakatte	Entire village	220.66	76.174089	14.654351	Jagaluru	Davanagere
	Total		13665.29				

ANNEXURE-III

Map of the Rangayyanadurga Four Horned Antelope Eco-sensitive Zone

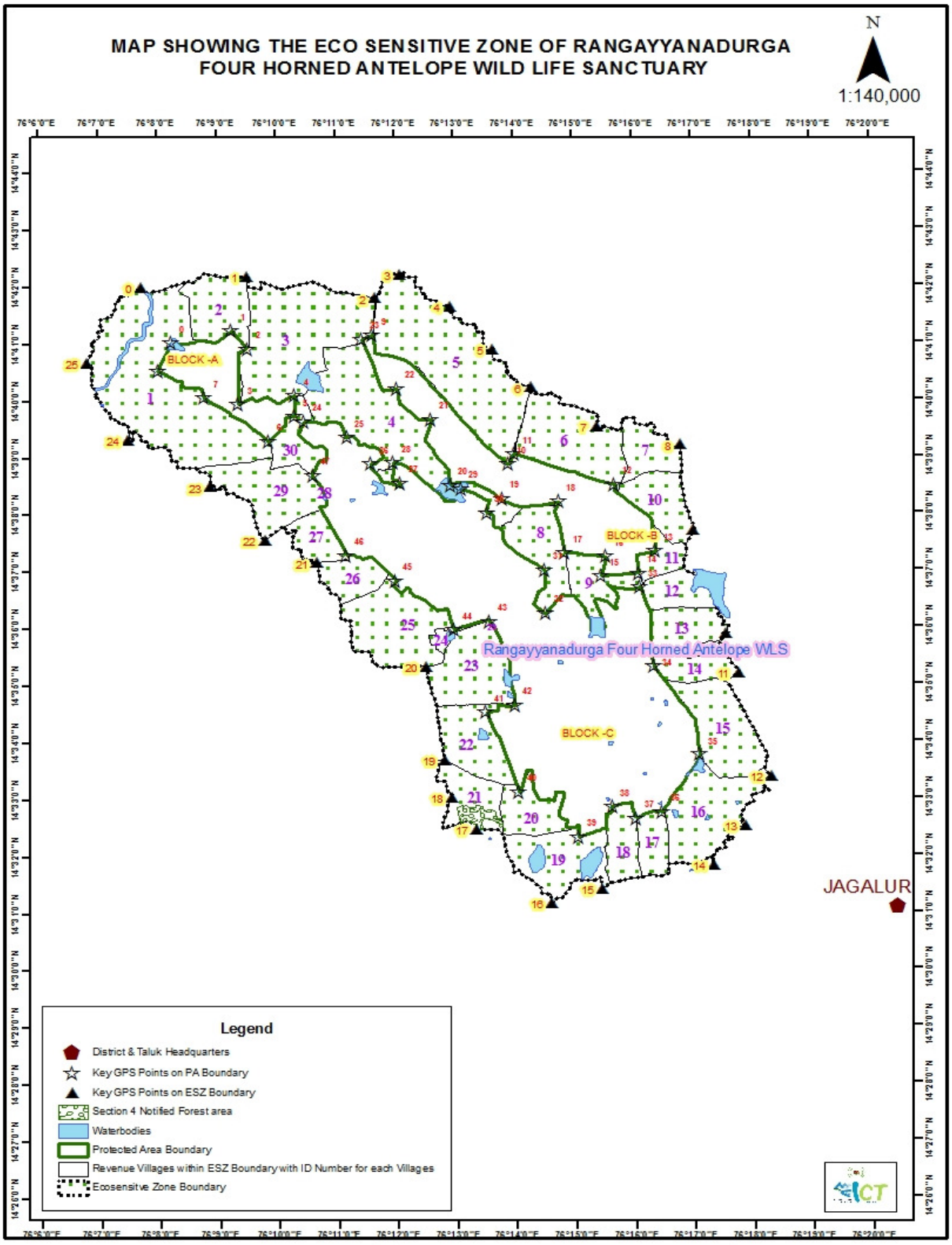

ANNEXURE-IV

GPS KEY LOCATION OF RANGAYYANDURGA WILDLIFE SANCTUARY

BLOCK-A

Sl. No.	Longitude	Latitude
1	76.1370042	14.6837430
2	76.1540601	14.6871999
3	76.1584125	14.6819389
4	76.1559887	14.6656910
5	76.1718136	14.6682133
6	76.1716325	14.6620716
7	76.1642452	14.6548098
8	76.1464231	14.6676896

BLOCK-B

Sl. No.	Longitude	Latitude
9	76.1332870	14.6755227
10	76.1937156	14.6856763
11	76.2317479	14.6480748
12	76.2333035	14.6508012
13	76.2614304	14.6417408
14	76.2729153	14.6222714
15	76.2681666	14.6156813
16	76.2577448	14.6150320
17	76.2590457	14.6207589
18	76.2475465	14.6218793
19	76.2457292	14.6369736
20	76.2298783	14.6377636
21	76.2154943	14.6417206
22	76.2100736	14.6610679
23	76.2004269	14.6700276

BLOCK-C

Sl. No.	Longitude	Latitude
24	76.1906283	14.6845454
25	76.1743998	14.6605745
26	76.1863357	14.6559267
27	76.1931799	14.6481287
28	76.2013640	14.6424409
29	76.1994637	14.6484493
30	76.2183887	14.6408233
31	76.2255969	14.6336107
32	76.2418106	14.6168229
33	76.2421023	14.6042361
34	76.2685969	14.6117387
35	76.2723287	14.5885477
36	76.2851018	14.5627194
37	76.2744995	14.5459580
38	76.2671225	14.5439985
39	76.2603801	14.5474459
40	76.2510327	14.5386746
41	76.2340809	14.5519379
42	76.2250323	14.5752742
43	76.2331353	14.5773488
44	76.2261456	14.6018505

45	76.2163488	14.5994317
46	76.1996383	14.6138680
47	76.1860290	14.6213477
48	76.1767319	14.6448015

KEY LOCATION OF RANGAYYANDURGA WILDLIFE SANCTUARY ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Longitude	Latitude
1	76.128679	14.699958
2	76.158348	14.703129
3	76.194442	14.696643
4	76.201297	14.703574
5	76.215332	14.694102
6	76.227304	14.681543
7	76.238033	14.670317
8	76.256483	14.658717
9	76.279965	14.653391
10	76.283568	14.628491
11	76.292590	14.598141
12	76.295929	14.586622
13	76.305176	14.556381
14	76.297712	14.541937
15	76.288904	14.530485
16	76.257419	14.523468
17	76.243206	14.519341
18	76.222211	14.541126
19	76.215336	14.550341
20	76.213240	14.561410
21	76.208280	14.588751
22	76.177782	14.619207
23	76.163053	14.625916
24	76.147802	14.641585
25	76.124701	14.655300
26	76.113229	14.677915

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.
9.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.